

**शिक्षण शुल्क भत्ता प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन (संशोधित)**

सेवा में,

मुख्य कार्मिक अधिकारी / वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी  
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

1. मैं अपने निम्नलिखित बच्चे/बच्चों के शिक्षण शुल्क भत्ते की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करता हूँ मुझे ज्ञात है कि यह भत्ता केवल प्रथम दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही देय है (This allowance is admissible to only two eldest surviving children)।
2. मैंने शैक्षणिक सत्र..... में पहले बच्चे के लिए राशि रु.....तथा दूसरे बच्चे के लिये राशि रु..... का भुगतान प्राप्त कर लिया है।
3. मेरा बच्चा(नाम).....कक्षा 1 से पहले की कक्षा.....में पढ़ रहा है एवं मुझे इससे पहले कक्षा.....का दावा प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार इस दावे को मुलाकर कुल .....(1 व 2 )शैक्षणिक सत्रों के लिए दावा हो जायेगा।
4. (a)प्रथम बच्चे का नाम.....(b)जन्म तिथि.....  
(c)विद्यालय का नाम.....( d)कक्षा.....  
(e)संबद्धता(CBSE/ICSE/State Board/Others)..... (f)सत्र.....  
(g)त्रैमासिक विवरण.....

तिमाही	यूनिफॉर्म	जूते	किताबे/नोटबुक	अन्य अनुमत शुल्क	कुल दावा की गई राशि
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
चतुर्थ					

5. (a)द्वितीय बच्चे का नाम.....(b)जन्म तिथि.....  
(c)विद्यालय का नाम.....( d)कक्षा.....  
(e)संबद्धता(CBSE/ICSE/State Board/Others)..... (f)सत्र.....  
(g)त्रैमासिक विवरण.....

तिमाही	यूनिफॉर्म	जूते	किताबे/नोटबुक	अन्य अनुमत शुल्क	कुल दावा की गई राशि
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
चतुर्थ					
<b>कुल दावा की गई राशि</b>					

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि बच्चा/ बच्चों के सामने दर्शाये गये शिक्षण भत्तो का भुगतान की नगदी रसीद, बैंक जमा रसीद व अन्य संबंधित रसीद स्व प्रमाणित कर प्रतिपूर्ति दावे के लिए संलग्न है।
7. यह प्रमाणित किया जाता है कि -
  - (i) मेरी पत्नी/मेरे पति रेल्वे/केन्द्र सरकार के कर्मचारी नहीं है।
  - (ii) मेरी पत्नी/मेरे पति रेल्वे/केन्द्र सरकार के कर्मचारी है किन्तु वह/वे हमारे बच्चे/बच्चों के शिक्षण भत्तों की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करेगी/करेंगे। इस आशय की सूचना उनके विभाग प्रमुख को दी जा चुकी है।
  - (iii) मेरी पत्नी/मेरे पति(नियेक्ता यदि केन्द्र सरकार के बाहर के है तो उल्लेख या जाये).....में कार्यरत है और वह/वे बच्चे/बच्चों के शिक्षण भत्तों की प्रतिपूर्ति पाने की/ के हकदार नहीं है।

दिनांक.....  
कर्मचारी का हस्ताक्षर.....  
नाम(स्पष्ट अक्षरों में).....  
पदनाम/कार्यालय.....  
कर्मचारी भविष्य निधि खाता सं.....

नोट:-नर्सरी/मॉटेसरी/केजी आदि के प्रकरण में कक्षा 1 से पूर्व केवल 2 वर्षों की शिक्षा के लिए ही यह देय होगा चाहे वे किसी भी नाम से लिया जाता हो

अग्रेषित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर  
सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति

हस्ताक्षर.....पदनाम.....